लेटर्स पेटेंट अपील

माननीय मुख्य न्यायमूर्ति मेहर सिंह और न्यायमूर्ति बल राज तुली के समक्ष

पी. डी. गौर, - *अपीलकर्ता*

बनाम

एन. बालासुंदरम, - *उत्तरदाता*

1968 के लेटर्स पेटेंट अपील नंबर 106।

1 अगस्त, 1968

*न्यायालय की अवमानना अधिनियम (*1952 का XXXII) - *धारा* 3 - *निषेधात्मक आदेश की अवज्ञा के लिए न्यायालय की अवमानना - यदि आवश्यक हो तो पत्र पेटेंट - खंड X - एकल न्यायाधीश द्वारा किसी व्यक्ति को अवमानना का दोषी ठहराना - उस आदेश के खिलाफ पेटेंट अपील - क्या सक्षम - मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश - क्या ऐसी अपील के लिए आवश्यक पक्ष हैं।*

अभिनिर्धारित किया गया कि निषेधात्मक आदेश के मामले में यह अच्छी तरह से तय है कि यह आवश्यक नहीं है कि आदेश उस पक्ष को दिया जाना चाहिए जिसके खिलाफ यह दिया गया है ताकि इस तरह के आदेश के उल्लंघन के लिए प्रतिबद्धता को सही ठहराया जा सके, बशर्ते कि यह साबित हो जाए कि जिस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत की गई थी, उसके पास आदेश के अनुसार नोटिस था। इसलिए, यह आवश्यक है कि किसी व्यक्ति को निषेधात्मक आदेश की अवज्ञा के लिए अदालत की अवमानना के लिए दोषी ठहराए जाने से पहले, यह साबित किया जाना चाहिए कि उसे इस तरह के आदेश की जानकारी या ज्ञान था। (पैरा 9)

अभिनिर्धारित किया कि उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ लेटर्स पेटेंट के खंड 10 के तहत एक अपील जिसमें किसी व्यक्ति को अपराध का दोषी ठहराया गया हो। **न्यायालय** सक्षम है। ऐसा आदेश उच्च न्यायालय के आपराधिक अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में नहीं किया जाता है। (पैरा4)

आगे अभिनिर्धारित किया गया कि यह आवश्यक नहीं है कि मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ अपील में पक्षकार बनाया जाना चाहिए, जिसमें एक व्यक्ति को एक निजी व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत पर शुरू किए गए मामले में उच्च न्यायालय की अवमानना करने के अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है। ऐसे मामले में, उच्च न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है जिसे अदालत की अवमानना अधिनियम के तहत अवमानना को दंडित करने की शक्ति सौंपी गई है और जिस न्यायालय का निर्णय या अपील के अधीन है, उसे उस अपील का प्रतिवादी नहीं बनाया जाता है। (पैरा 5)

माननीय न् यायमूर्ति आर पी खोसला द्वारा 3 जनवरी, 1968 *को पारित आदेश के खिलाफ लेटर्स पेटेंट के खंड X में लेटर्स पेटेंट अपील दायर की गई है।* 1967 *की* बीमार।

यू.डी. गौड़, वकील, अपीलकर्ता हैं।

डी. डी. वर्मा और एस.के. अग्रवाल, वकील, प्रतिवादी के लिए।

निर्णय।

तुली, न्यायमूर्ति —एन. बालासुंदरम द्वारा दायर न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1952 की धारा 3 के तहत एक याचिका पर, अपीलकर्ता को इस न्यायालय की अवमानना करने का दोषी ठहराया गया था और आर. पी. खोसला, जे. द्वारा गंभीर चेतावनी दी गई थी। अपीलकर्ता ने अपनी दोषसिद्धि के खिलाफ यह लेटर्स पेटेंट अपील दायर की है।

(2) याचिकाकर्ता एन. बालासुंदरम मेसर्स ईस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक्स, फरीदाबाद के मालिक हैं और उन्होंने 1967 की सिविल रिट संख्या 979 में अवकाशकालीन न्यायाधीश से अंतरिम स्थगन आदेश प्राप्त किया था, जिसमें आदेश की तारीख से दो महीने के भीतर याचिकाकर्ता की बैंक गारंटी पर देय बिक्री कर की राशि की वसूली पर रोक लगा दी गई थी। इस आदेश की पुष्टि 21 जुलाई, 1967 को सरकारिया, जे द्वारा की गई थी और सुरक्षा प्रदान करने के लिए समय तीन सप्ताह अर्थात 18 अगस्त, 1967 तक बढ़ा दिया गया था। 18 अगस्त, 1967 को राज्य के अधिवक्ता और विभागीय प्राधिकारियों की उपस्थिति में दो महीने का और विस्तार दिया गया। 22 अगस्त, 1967 को अपीलकर्ता पीडी गौड़ यह पता लगाने के लिए ईस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक्स के कार्यालय

गए कि क्या उच्च न्यायालय द्वारा सुरक्षा प्रदान करने की अवधि को आगे बढ़ाया गया है। याचिकाकर्ता एन. बालासुंदरम ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि पीडी गौड़ 22 अगस्त, 1967 को सुबह लगभग 10.00 बजे उनके कारखाने में गए और श्री बीएन शर्मा, प्रबंधक को याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी और उनकी संपत्ति की कुर्की की धमकी दी। वहीप्रबंधक ने उन्हें बताया कि कराधान विभाग बार-बार इस न्यायालय के आदेश की जानबूझकर अवहेलना कर रहा है, जिसके बाद पीडी गौड़ ने प्रबंधक को इस आशय का एक हलफनामा प्रस्तुत करने के लिए कहा कि स्थगन अभी भी प्रभावी और वैध है और बैंक आई गारंटी प्रस्तुत करने के लिए समय आगे बढ़ा दिया गया है। चूंकि याचिकाकर्ता पहले ही हवाई जहाज से मद्रास के लिए रवाना हो चुका था, इसलिए उसके प्रबंधक ने पीडी गौड़ के निर्देश का पालन करने में असमर्थता पर खेद व्यक्त किया। अंततः, प्रबंधक ने उन्हें फरीदाबाद के आबकारी और कराधान अधिकारी के. आर. अवस्थी को संबोधित एक पत्र दिया, जिसमें कहा गया था कि बैंक गारंटी प्रस्तुत करने का समय 16 अक्टूबर, 1967 तक बढ़ा दिया गया है। पी. डी. गौड़ ने अवमानना याचिका पर अपना जवाब दायर किया, जिसमें उन्होंने कहा कि 22 अगस्त, 1967 को वह याचिकाकर्ता के खिलाफ किसी वारंट को निष्पादित करने नहीं गए थे, बल्कि यह जानकारी प्राप्त करने के लिए उनके कार्यालय गए थे कि क्या कोई विस्तार आदेश जारी किया गया था और उन्हें सूचित किया गया था कि 18 अगस्त को एक और विस्तार की अनुमति दी गई थी। 1967. उन्होंने दलील दी कि उन्होंने कोई अवमानना नहीं की है और नियम का निर्वहन किया जा सकता है।

(3) अवमानना याचिका की सुनवाई करने वाले एकल न्यायाधीश ने कहा कि चूंकि बैंक गारंटी प्रस्तुत करने के लिए समय विस्तार के आदेश को 18 अगस्त, 1967 को पीडी गौड़ सहित विभागीय अधिकारियों के वकील की उपस्थिति में बढ़ाया गया था, इसलिए अपीलकर्ता के लिए यह दलील देने का कोई औचित्य नहीं था कि उसे आदेश पारित होने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इसलिए, एकल न्यायाधीश ने उन्हें अवमानना का दोषी ठहराया और इस तथ्य के मद्देनजर गंभीर चेतावनी दी कि अपीलकर्ता ने खुद को अदालत की दया पर फेंक दिया था और बिना शर्त माफी मांगी थी।

(4) दोषसिद्धि के आदेश से व्यथित महसूस करते हुए, अपीलकर्ता ने लेटर्स पेटेंट के खंड 10 के तहत यह अपील दायर की है। प्रतिवादी एन.

बालासुंदरम के वकील ने चार प्रारंभिक आपत्तियां उठाई हैं, जिन पर बाद में विचार किया जाएगा। पहली प्रारंभिक आपत्ति यह है कि कोई भी लेटर्स पेटेंट अपील सक्षम नहीं है। अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप एक लंबित सिविल रिट में इस न्यायालय द्वारा दिए गए स्थगन के आदेश की अवज्ञा का था, जो एक सिविल कार्यवाही है। यह इस न्यायालय की एक डिवीजनल बेंच (गोसाईं और ग्रोवर, जेजे) द्वारा आयोजित किया गया है। *श्री राम नारायण माथुर* बनाम *माननीय मुख्य न्यायाधीश और चंडीगढ़ उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश* (1), के खिलाफ लेटर्स पेटेंट के खंड 10 के तहत अपील

अपीलकर्ता को उच्च न्यायालय की अवमानना का दोषी ठहराने वाला उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश का आदेश सक्षम है। ऐसा आदेश उच्च न्यायालय के आपराधिक अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में नहीं किया जाता है। यहां तक कि अगर सिविल और आपराधिक अवमानना के बीच अंतर को स्वीकार किया जाता है, तो इस मामले में एकल न्यायाधीश का आदेश अभी भी अपील योग्य होगा क्योंकि उसके द्वारा दी गई सजा सिविल कार्यवाही में उच्च न्यायालय के आदेशों की अवज्ञा के लिए है जो नागरिक अवमानना का गठन करती है। हम उस निर्णय में निर्धारित कानून के प्रस्ताव के साथ सम्मानजनक सहमति में हैं और मानते हैं कि लेटर्स पेटेंट अपील वर्तमान मामले में सक्षम है।

(5) प्रतिवादी के विद्वान वकील द्वारा उठाई गई दूसरी आपत्ति यह है कि इस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश अपील के लिए आवश्यक पक्ष थे क्योंकि इस न्यायालय की अवमानना की गई थी। मुझे इस आपत्ति में कोई दम नजर नहीं आता। अवमानना के लिए याचिका प्रतिवादी द्वारा दायर की गई थी और उसके द्वारा मुकदमा चलाया गया था। यह आवश्यक नहीं है कि मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ अपील में पक्षकार बनाया जाना चाहिए, जिसमें किसी व्यक्ति को एक निजी व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत पर शुरू किए गए मामले में उच्च न्यायालय की अवमानना करने के अपराध का दोषी ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा अपने स्वयं के प्रस्ताव पर शुरू नहीं किया गया है। उच्च न्यायालय, ऐसे मामले में, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है जिसे अदालत की अवमानना अधिनियम के तहत अवमानना को दंडित करने की शक्ति सौंपी गई है और जिस न्यायालय का निर्णय या आदेश अपील के अधीन है, उसे उस अपील

का प्रतिवादी नहीं बनाया जाता है।

(6) विद्वान वकील द्वारा उठाई गई तीसरी आपत्ति यह है कि अपील सक्षम नहीं थी क्योंकि अपीलकर्ता ने बिना शर्त माफी मांगी थी। इस विवाद में भी कोई दम नहीं है। अपीलकर्ता ने दलील दी थी कि उसने इस कारण से कोई अवमानना नहीं की है कि उसे इस न्यायालय द्वारा दिए गए समय के विस्तार के बारे में पता नहीं था और वह केवल यह जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रतिवादी के कार्यालय में गया था कि क्या समय बढ़ाया गया था। मुकदमे के दौरान, उन्होंने किसी भी गंभीर सजा से बचने के लिए बिना शर्त माफी मांगी। अपीलकर्ता को उसकी माफी की स्वीकृति पर छोड़ा नहीं गया था, बल्कि उसे अदालत की अवमानना करने के अपराध का दोषी ठहराया गया था और इस कारण से उसे अपनी दोषसिद्धि के खिलाफ अपील दायर करने का अधिकार है।

(7) चौथी आपत्ति यह है कि अपील राज्य द्वारा दायर की गई है और इसलिए यह अक्षम है। अपील का ज्ञापन यह दर्शाता है कि अपीलकर्ता पीडी गौड़ है और अंत में अपील के ज्ञापन पर सहायक महाधिवक्ता और लोक अभियोजक, हरियाणा द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। इसका मतलब है कि हरियाणा राज्य ने अपीलकर्ता को अपना वकील प्रदान किया जो बिल्कुल भी आपत्तिजनक नहीं है। विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष भी, अपीलकर्ता का बचाव राज्य के वकील द्वारा किया गया था। मुझे ऐसा कुछ भी आपत्तिजनक नहीं लगता कि राज्य अवमानना याचिका में अपने अधिकारी को अपने बचाव के लिए वकील प्रदान करता है या दोषसिद्धि के खिलाफ उसकी अपील पेश करता है और मुकदमा चलाता है यदि उसे लगता है कि अधिकारी ने कोई अवमानना नहीं की है या उसकी दोषसिद्धि अनुचित हैं

(8) प्रतिवादी के लिए विद्वान वकील द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्तियों में कोई बल नहीं होने के कारण, मैं यह निर्धारित करने के लिए आगे बढ़ता हूं कि क्या अपीलकर्ता द्वारा कोई अवमानना की गई थी।

(9) माना जाता है कि 21 जुलाई, 1967 को सरकारिया, जे द्वारा पारित स्थगन आदेश में बैंक गारंटी प्रस्तुत करने की अवधि 18 अगस्त, 1967 तक बढ़ा दी गई थी और बाद की तारीख में, राज्य के वकील और विभागीय प्राधिकारियों की उपस्थिति में समय को दो महीने के लिए और बढ़ा दिया गया था। 18 अगस्त, 1967 को शुक्रवार था और रिकॉर्ड पर यह साबित नहीं हुआ है कि समय विस्तार की कोई सूचना दी गई थी। अपीलकर्ता को 18 अगस्त, 1967 को दिया गया था,

या उसे 22 अगस्त, 1967 को प्रतिवादी के कार्यालय में जाने से पहले समय बढ़ाने के आदेश की जानकारी मिली थी। अपीलकर्ता ने कहा कि उसे समय बढ़ाने के आदेश की ऐसी कोई जानकारी नहीं थी और वह यह जानकारी प्राप्त करने के लिए याचिकाकर्ता के कार्यालय गया था कि क्या 18 अगस्त, 1967 को समय आगे बढ़ाया गया था या नहीं। यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा *होशियार सिंह और एक अन्य* मामले *में आयोजित किया गया है।गुरबचन सिंह और अन्य* (2) ने कहा कि निषेधात्मक आदेश के मामले में यह अच्छी तरह से तय किया गया था कि यह आवश्यक नहीं था कि आदेश उस पार्टी को दिया जाना चाहिए था जिसके खिलाफ इसे दिया गया था ताकि इस तरह के आदेश के उल्लंघन के लिए प्रतिबद्धता को सही ठहराया जा सके, बशर्ते कि यह साबित हो जाए कि शिकायत करने वाले व्यक्ति के पास आदेश का नोटिस था। इसलिए, प्रतिवादी के लिए यह साबित करना आवश्यक था कि अपीलकर्ता को 22 अगस्त, 1967 से पहले बैंक गारंटी प्रस्तुत करने के लिए आदेश के विस्तार की जानकारी या ज्ञान था, जब वह कार्यालय गया था। याचिकाकर्ता के बारे में। यह तथ्य साबित नहीं होने के कारण, अपीलकर्ता ने 22 अगस्त, 1967 को याचिकाकर्ता के कार्यालय में जाकर इस न्यायालय के आदेश की अवहेलना नहीं की और उसे अदालत की कोई अवमानना नहीं कहा जा सकता है।

(10) ऊपर दिए गए कारणों के लिए, इस अपील को अनुमति दी जाती है और अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को रद्द कर दिया जाता है। हालांकि, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

। मेहर सिंह, *मुख्य न्यायमूर्ति* -मैं सहमत हूं।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और

निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

आकाश सरोहा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)

रेवाड़ी, हरियाणा